



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.

(रेल मंत्रालय का एक नवरत्न उपक्रम)
(A Navratna Undertaking of Ministry Of Railways)

वडोदरा कंटेनर कॉम्प्लेक्स
का सार्वजनिक टैरिफ
Public Tariff for
Vadodara Container Complex

संपर्क जानकारी

Contact Information:

दूरभाष / Telephone: + 91 265 2795749, 2792058, फैक्स / Fax + 91 265 2795746

ईमेल / e-mail: concorbrc@concorindia.com

शुल्कदर 01.04.2020 से लागु
TARIFF W.E.F 01.04.2020

1. आईएसओ लोडेड कंटेनर के लिए रेल भाड़ा 01.04.2019 से लागू / RAIL FREIGHT FOR ISO LOADED CONTAINERS w.e.f 01.04.2019

कंटेनर आकार / CONTAINER SIZE	कुल भार / GROSS WEIGHT (टन में /in MT)	निर्यात /EXPORT			आयात /IMPORT		
		बीआरसी से जेएनपीटी / BRC to JNPT	बीआरसी से एमडीपीटी / BRC to MDPT	बीआरसी से पीपीएसपी / BRC to PPSP	जेएनपीटी से बीआरसी / JNPT to BRC	एमडीपीटी से बीआरसी / MDPT to BRC	पीपीएसपी से बीआरसी / PPSP to BRC
20 फीट /20 FEET	upto 10	₹ 10,400	₹ 10,400	₹ 9,900	₹ 11,400	₹ 11,400	₹ 11,900
	10 to 20	₹ 13,000	₹ 12,500	₹ 12,500	₹ 14,000	₹ 13,500	₹ 14,000
	20 to 26	₹ 16,100	₹ 16,100	₹ 15,600	₹ 17,100	₹ 17,100	₹ 17,600
	26 to 31	₹ 17,700	₹ 17,700	₹ 17,200	₹ 18,700	₹ 18,700	₹ 20,200
	> 31	₹ 18,700	₹ 18,700	₹ 18,200	₹ 19,700	₹ 19,700	₹ 21,800
40 फीट /40 FEET	upto 20	₹ 19,200	₹ 19,200	₹ 18,200	₹ 20,700	₹ 20,700	₹ 21,300
	> 20	₹ 22,900	₹ 22,900	₹ 21,900	₹ 24,400	₹ 24,400	₹ 25,900

ध्यान दें/ Note:

- ऊपर उल्लिखित वजन स्लैब कंटेनर का कुल वजन है (कार्गो का वजन + खाली कंटेनर का वजन)। / The weight slab mentioned in the tariff above is the gross weight of container (Cargo Weight +Tare weight of the Container).
- निर्यात में खतरनाक कार्गो के लिए अतिरिक्त 10%, आयात में 20% उल्लिखित भाड़े पर शुल्क लिया जाएगा। टैंक कंटेनर के लिए सामान्य भाड़े पर 20% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। For Hazardous cargo extra 10% in exports, 20% in imports on the mentioned freight will be charged. For tank container extra 20% on the normal freight will be charged.

2. खाली आईएसओ कंटेनर के लिए रेल माल भाड़ा w.e.f 01.05.2020 / RAIL FREIGHT FOR EMPTY ISO CONTAINERS w.e.f 01.05.2020

कंटेनर आकार / CONTAINER SIZE	बीआरसी से जेएनपीटी / BRC to JNPT	बीआरसी से एमडीपीटी / BRC to MDPT	बीआरसी से पीपीएसपी / BRC to PPSP	बीआरसी से खोडियार / BRC to KHDB	बीआरसी एम.एम.एल.पी - नागपुर / BRC to PCPK
20 फीट / 20 FEET	₹ 10,350	₹ 10,400	₹ 11,700	₹ 3,900	₹ 11,800
40 फीट / 40 FEET	₹ 18,060	₹ 18,800	₹ 20,000	₹ 6,480	₹ 21,400

वेबसाइट

टर्मिनल हैंडलिंग शुल्क / TERMINAL HANDLING CHARGE

गतिविधि का वर्णन / DESCRIPTION OF ACTIVITY	20'	40'
निर्यात गतिविधि / EXPORT CYCLE ट्रेलर से ई-सील कारखाने से भरे हुए कंटेनर की अनलोडिंग, यार्ड में स्टैकिंग, सीमा शुल्क सील के बाद गेटवे पोर्ट के लिए रेल वैगन पर लोड करना। / Unloading e-seal factory stuffed container from the trailer, stacking in the yard, lifting and loading it on rail wagon for gateway port after Customs sealing.	₹ 2,300	₹ 4,300
आयात गतिविधि / IMPORT CYCLE आयात लोडेड कंटेनर रेल वैगन जो के गेटवे पोर्ट से आया है अनलोडिंग करना, यार्ड में स्टैकिंग करना, इसे आईसीडी / दशरथ के लिए ट्रेलर पर लोड करना। / Unloading import loaded container arrived from gateway port from rail wagon, stacking in the yard, loading it on the trailer for onward movement to ICD/Dashrath.	₹ 2,300	₹ 4,300
आयात गतिविधि (आरएमएस-डायरेक्ट डिलीवरी) / IMPORT CYCLE (RMS-Direct Delivery) आयात लोडेड कंटेनर रेल वैगन जो के गेटवे पोर्ट से आया है अनलोडिंग करना, यार्ड में स्टैकिंग करना, सीमा शुल्क और प्रलेखन द्वारा सील सत्यापन के लिए प्लेसमेंट और ग्राउंडिंग, सीमा शुल्क द्वारा क्लियर करे हुए कार्गो वा कंटेनर को ट्रेलर पर लोड करना / Unloading import loaded container arrived from gateway port from rail wagon, stacking in the yard, placement and grounding for seal verification by Customs, documentation, loading customs cleared container on the trailer for factory destuffing	₹ 2,600	₹ 4,800
खाली कंटेनर गतिविधि / EMPTY CONTAINER CYCLE रेल वैगन से खाली कंटेनर को उतारना, यार्ड में स्टैक करना और ट्रेलर पर लोड करना या इसके विपरीत / Unloading of the empty container from rail wagon, stacking in the yard and loading it on trailer or vice a versa	₹ 1,500	₹ 3,000
अतिरिक्त हैंडलिंग गतिविधि / OUT OF CYCLE HANDLING एक लोडेड कंटेनर की हैंडलिंग / Single loaded container handling	₹ 900	₹ 1,620
एक खाली कंटेनर की हैंडलिंग / Single empty container handling	₹ 500	₹ 1,000

ध्यान दें/ Note: 24-30 मीट्रिक टन के बीच कुल भार वाले सभी 20' आयात कंटेनर पर टीएचसी सामान्य शुल्क से 1.25 गुना अधिक लगोगी। जबकि 20' एक्सपोर्ट लोडेड कंटेनरों के लिए यह 27-30 मीट्रिक टन के बीच वजन वाले कंटेनर पर लागू होगी। 20' कंटेनर के लिए सकल वजन के साथ 30 मीट्रिक टन से अधिक, THC शुल्क सामान्य दर से दोगुना वसूला जाएगा। विशेष प्रकार के कंटेनर जैसे टैंक आदि के मामले में, सामान्य कार्गो की आवाजाही के लिए सामान्य कंटेनरों पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

The THC for all 20' Import Loaded containers with Gross weight between 24-30 MT will be pegged at 1.25 times of the normal charge. Whereas for 20' Export Loaded Containers it will be applicable with Gross Weight between 27-30 MT. For 20" containers with gross weight exceeding 30 MT, THC charges will be charged double the normal rate. In case of special type of containers such as tank, etc. 20% additional charges will be levied over normal containers for movement of general cargo.

रुजाता

टर्मिनल सर्विस चार्ज / TERMINAL SERVICE CHARGE		
कंटेनर का प्रकार (आयात / निर्यात / खाली) / Type of container (import/export/empty)	समय छूट / Free time	टीएससी प्रति टीईयु प्रति दिन / TSC per TEU per day
आरसीटी पर आये हुए लोडेड आयात कंटेनर, सीमा शुल्क ने आरसीटी पर क्लियर करे या आईसीडी / दशरथ में स्थानांतरित हो / Import loaded container arriving at RCT, customs cleared at RCT or moved to ICD/Dashrath	आगमन की तिथि को छोड़कर 45 दिन / 45 days excluding the date of arrival	₹ 1,000
आरसीटी पहुंचने वाले निर्यात लोडेड कंटेनर जो की कारखाने से भर कर आया हो या आईसीडी / दशरथ से क्लीयर होकर / Export loaded container arriving at RCT either factory stuffed or customs cleared at ICD/Dashrath	आगमन की तिथि को छोड़कर 45 दिन / 45 days excluding the date of arrival	₹ 1,000
खाली कंटेनर रेल या सड़क मार्ग से आरसीटी पर पहुंचना / Empty container arriving at RCT by rail or road	आगमन / डे-स्टफिंग की तारीख को छोड़कर 90 दिन / 90 days excluding the date of arrival / destuffing	₹ 500

ध्यान दें/ Note:

1. आरसीटी से फैक्ट्री वापस जाने वाले निर्यात कंटेनरों को कोई समय छूट नहीं दि जाएगी।
1. No free time will be given to the export containers going back to town.
2. ग्राहक से अनुरोध पर कंटेनरों को होल्ड करने के मामले में, टीएससी कंटेनर को होल्ड करने की तारीख से लेकर रिलीज करने की तारीख तक वसूला जाएगा।
2. In case of holding of containers on request from customer, TSC will be charged from the date of hold till the release date of the container.

अतिरिक्त प्रभार / ADDITIONAL CHARGES: निम्नलिखित प्रमुखों के अनुसार निर्यात लोडेड, आयात लोडेड और खाली कंटेनर के संचलन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। / Additional charges against the movement of export loaded, import loaded and an empty container will be levied as per the following heads:

क्र.सं. / S.No.	विवरण / Description	प्रति टीईयु दर / Rate per TEU
1	प्रलेखन और सर्वेयर प्रभार / Documentation & Surveyor charge	₹ 500
2	डेटा प्रभार / Data Charge	₹ 500
3	इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रभार / Infrastructure & Development Charge	₹ 500

2/2/2024

ध्यान दें/ Note:

1. खाली कंटेनर के लिए गेट पास जारी करने के समय, लागू THC और अतिरिक्त शुल्क एकत्र किए जाएंगे, हालांकि, जब निर्यात लोड कंटेनर RCT में वापस आ जाएगा, तो फिर से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
1. At the time of issue of a gate pass for the empty container, applicable THC and additional charges will be collected, however, when export loaded container will return to RCT, then additional charges will not be charged again.
2. यदि निजी ट्रेलर खाली कंटेनरों को गैर-वापस करने के आधार (आरसीटी पर निर्यात लोडेड कंटेनर वापस नहीं आया) से बाहर ले जाया जाता है, तो दुगना अतिरिक्त प्रभार वसूला जायगा, एक बार खाली कंटेनरों की आवाजाही के लिए और दूसरा जावक की ओर।
2. If empty containers are moved out of CONCOR on the non-returnable basis (loaded export not back to RCT) by road on the private trailer than double additional charges will be levied once for inward movement of empty containers and the other for outward by road on Non- Returnable basis.
3. अतिरिक्त शुल्क और लागू टीएचसी के अलावा Rs.750/- अधिभार प्रति टीईयु उन खाली कंटेनरों पर लिया जायेगा जो आरसीटी से गैर-वापसी के आधार पर बाहर ले जाये जाते हैं।
3. A surcharge of Rs.750/- per TEU will be collected for empty container moving out of RCT on non-returnable basis over and above additional charge and applicable THC.

विविध प्रभार / MISCELLANEOUS CHARGES

गेटवे पोर्ट को बदलवाने के लिए / CHANGE OF GATEWAY PORT:

निर्यात कंटेनर की बुकिंग के बाद लोडिंग के बंदरगाह में संशोधन के लिए अनुरोध प्रति TEU Rs.50/- का प्रभार आकर्षित करेगा।

Request for amendment in the port of loading after booking of the export container will attract a levy of Rs.50/- per TEU.

परिवहन का तरीका बदलना / CHANGE OF MODE OF TRANSPORTATION:

परिवहन के मोड को बदलने के लिए अनुरोध, निर्यात कंटेनर जो कॉनकॉर के साथ रेल से रवाना करने के लिए बुक किया गया है और उसे सड़क से रवाना करना है तो प्रति TEU Rs.500/- का प्रभार लगेगा। हालांकि, यदि कॉनकॉर कंटेनर की बुकिंग के पांच दिनों के भीतर ट्रेन सेवा प्रदान करने में असमर्थ है, तो परिवहन के मोड में परिवर्तन को बिना किसी शुल्क के अनुमति दी जाएगी।

Request for change of mode of transportation, that is rail to road after the container has been booked with CONCOR, will attract a levy of Rs.500/- per TEU. However, if CONCOR is unable to provide the train service within five days of booking of the container then change in the mode of transportation will be permitted without any charges.

गलत वजन घोषित करने पर दंड / PENALTY FOR MISDECLARATION OF WEIGHT:

परेषक को अघोषित नोट में वजन सही ढंग से घोषित करना चाहिए। अगर बाद में अतिरिक्त / अधिक वजन के रूप में कोई अंतर पाया जाता है, तो इसे मिथ्या घोषणा का मामला माना जाएगा और दंड स्वरूप रु1,000/- प्रति मीट्रिक टन या उसके अतिरिक्त भाग के लिए घोषित वजन से अधिक के लिए भाग लिया जाएगा तथा देय अंतर माल भाड़ा और हैंडलिंग शुल्क की वसूली कीजायगी।

2/2/2024

Consignors should declare the weight correctly in the forwarding note. In case any difference in form of excess/overweight is detected later, it will be construed to be a case of mis-declaration and penal charges would be levied @ Rs.1000/-per Metric Tonne or part thereof for excess weight beyond the declared weight in addition to the recovery of due differential freight and handling charges.

अस्वीकृत चैक प्रभार / CHEQUE DISHONORING CHARGES:

अस्वीकृत चैक के कारण रेल भाड़ा / टीएससी / टीएचसी की प्राप्ति में देरी होती है। ऐसे सभी मामलों में, रु 500/- प्रति चैक लेखन-शुल्क लिया जाएगा और इसके अलावा, चैक की राशी पर प्रति वर्ष 15% का जुर्माना, महीनों या उसके हिस्से पर भी लगाया जाएगा।

Cheque dishonoring/bouncing leads to delay in the realization of freight/TSC/THC. In all such cases, a clearkage of Rs.500/- per cheque shall be collected and, in addition, a penalty@ 15% per annum for the no. of months or part thereof shall also be levied on the cheque amount.

विलंब भुगतान अधिभार / DELAY PAYMENT SURCHARGE:

2 कार्य दिवसों की समय छूट (कंटेनरों की बुकिंग की तारीख को छोड़कर) दिया जाएगा, जिसके दौरान परेषक को अपने संबंधित कंटेनरों के संबंध में सभी संबंधित देयताओं का भुगतान कॉन्कॉर को करना होगा और IWB प्राप्त करना होगा। बुकिंग की तारीख हैंडओवर की तारीख होगी, यानी लियो के साथ फॉरवर्डिंग नोट जमा करने की तारीख और खाली कंटेनर के मामले में फॉरवर्डिंग नोट जमा करने की तारीख। समय छूट के अन्दर भुगतान करने में विफलता के मामले में, कॉन्कॉर भुगतान की प्राप्ति के वास्तविक दिन के आधार पर नीचे दिए गए दरों के तहत कंटेनरों के कुल भुगतान पर विलंबित भुगतान अधिभार लगाएगा।

Free time of 2 working days (excluding the date of booking of containers) will be given during which the consignor must pay all relevant dues in respect of their respective containers to CONCOR and obtain IWB. The date of the booking will be the date of the handover, i.e., the date of submission of Forwarding Note along with LEO and in case of empty containers the date of submission of Forwarding Note. In case of failure to remit payment with free time, CONCOR will levy delayed payment surcharge on the total payment due against the containers at under noted rates depending on the actual day of receipt of payment.

क्र.सं. / S.No.	दिनों की संख्या / Number of days	अधिभार / Surcharge
1	समय छूट के अगले 02 दिनों के लिए / After free time for the next 02 days.	कुल बकाया का 2% / 2% of total outstanding dues.
2	आगले 03 दिनों के लिए / Next 03 days.	कुल बकाया का 5% / 5% of total outstanding dues.
3	आगले 25 दिनों के लिए / Next 25 days.	कुल बकाया का 10% / 10% of total outstanding dues.
4	30 दिनों के बाद / After 30 days.	कुल बकाया का 10% + Rs.100/- प्रति टीईयु प्रति दिन / 10% of total outstanding dues +Rs.100/- per day per TEU.

वेबसाइट

खतरनाक वस्तु की गलत घोषणा / MISDECLARATION OF A HAZARDOUS COMMODITY

खतरनाक वस्तु को जानबूझकर गलत घोषित किए जाने पर प्रभार और प्रभार्य प्रति कंटेनर माल दुलाई, THC, और TSC के बीच के अंतर के दुगने मुलाये को वसूला जाएगा, जो न्यूनतम Rs.1,000/- प्रति TEU के अधीन होगा। जहां वस्तु को सामान्य मालवाहक के रूप में बुक किया जाता है और उस वस्तु का RED TARIFF/IMDG में प्रकट होने वाले नाम से मिलान होने के बावजूद या बिल ऑफ लैडिंग में वस्तु की खतरनाक होने की घोषणा की जाती है, तो वस्तु की गलत घोषणा को जानबूझकर गलत करार दिया जाएगा। इसके अलावा, इस तरह के कुकृत्य के कारण अगर कॉनकॉर कोई नुकसान होता है तो जिम्मेदार पार्टी से नुकसान की पुनर्प्राप्ती की जाएगी।

The penalty for deliberate misdeclaration of a hazardous commodity shall be double the differential between the rate charged and chargeable per container towards freight, THC and TSC subject to a minimum of Rs.1,000/- per TEU. Cases, where the commodity is booked as general cargo on general forwarding note in spite of matching name appearing in RED TARIFF/IMDG or declaration in the Bill of lading as hazardous will be treated as deliberate misdeclaration. In addition, any other loss incurred by CONCOR due to such misdeclaration shall also be recoverable from the party responsible for such misdeclaration.

***लागू जी.एस.टी. वसूला जायेगा**

***GST will be charged as applicable.**

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की तरफ से

मुख्य प्रबंधक /आरसिटी-वडोदरा

रजत गुप्ता
Rajat Gupta
मुख्य प्रबंधक
Chief Manager
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation Of India Limited
रेल कंटेनर टर्मिनल, नवा यार्ड, वडोदरा
Rail Container Terminal, Nava Yard, Vadodara